हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] वादिनी / प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता की कोई भी उपस्थिति नहीं है। वादिनी / प्रार्थीया मय हाजरी कहकर पेश की गई वाद / प्रार्थना पत्र निरस्त किया तदनुसार यह प्रार्थना पत्र खारिज। मेरा जवाब कर्मचारी एकपक्षीय आदेश दिनांक 25-7-19 खारिज। फैसल पत्रावली फैसल शुमार हो। सकल	